न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(बईजलास पीठासीन अधिकारी गजानन्द जांगीड़ आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. – 77/2019 **दिनांक : 25.10.2019**

उनवान

1– श्रीमति दोलकी पत्नि स्व. नेत्या जाति मीणा आयु 58 वर्ष निवासी डबेला तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़ (राज.)
2– भग्गा पिता श्री नेत्या जाति मीणा आयु 37 वर्ष निवासी डबेला तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ (राज.) – वादीगण

बनाम

1– श्री कालु पिता रामा जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी डबेला
2– श्री शम्भु पिता रामा जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी डबेला
3– श्री उदा पिता रामा जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी डबेला
4– श्री कैलाश पिता रामा जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी डबेला
5– श्री देवा मुतबन्ना नाथू जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी डबेला
6– श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सा. बड़ीसादड़ी

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि खतौनी संख्या 31 की आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 0.2700 हे. लगानी 1.89 रूपया, नम्बर 205 रकबा 0.1700 हे. लगानी 2.72 रूपया, नम्बर 210 रकबा 0.2300 हे. लगानी 3.68 रूपया, नम्बर 212 रकबा 0.2000 हे. लगानी 3.20 रूपया, नम्बर 224 रकबा 0.3100 हे. लगानी 4.96 रूपया, नम्बर 232 रकबा 0.1400 हे. लगानी 2.66 रूपया, नम्बर 233 रकबा 0.2900 हे. लगानी 5.51 रूपया, नम्बर 236 रकबा 0.3000 हे. लगानी 5.70 रूपया, नम्बर 237 रकबा 0.2300 हे. लगान 0.69 रूपया, नम्बर 238 रकबा 0.3500 हे. लगान 1.05 रूपया, नम्बर 240 रकबा 0.4600 हे. लगान 1.38 रूपया, नम्बर 241 रकबा 0.0300हे. गे.मु.आ.चा., नम्बर 242 रकबा 0.0400 हे. लगान 0.76 रूपया कुल किता 13 रकबा 3.0200 हे. लगानी 34.20 रूपया ग्राम डबेला पटवार सर्कल बानसी तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है। इन आराजियात को सुविधा की दृष्टि से आगे वादग्रस्त आराजियात (भूमि) के नाम से सम्बोधित किया जावेगा ।

" वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वंशावली निम्नानुसार है –

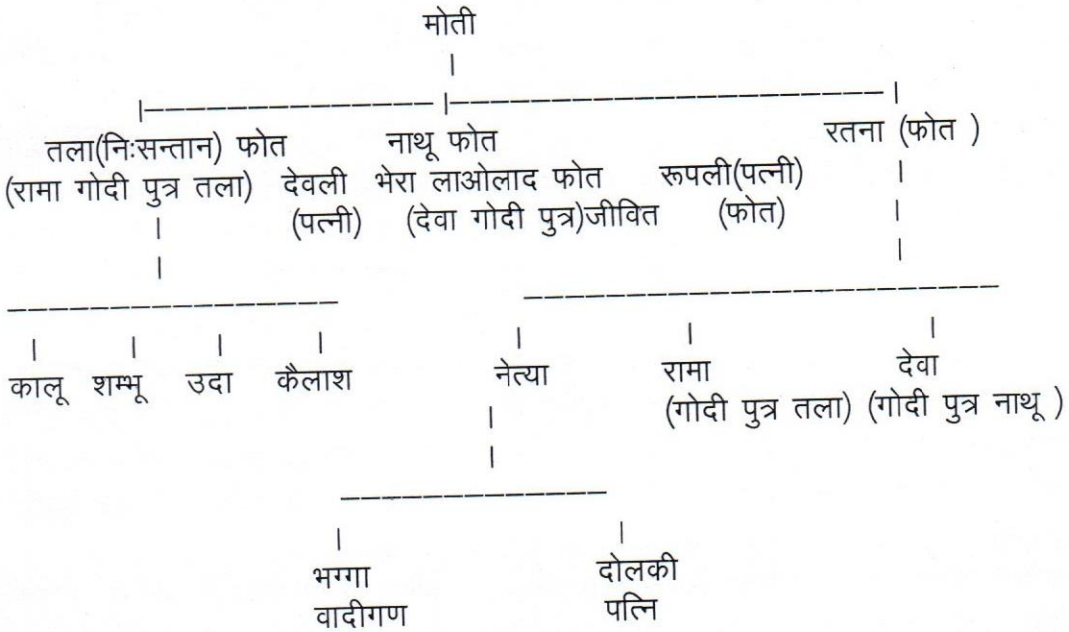

उक्त वंशावली के अनुसार मूल पुरूष मोती जी थे जिनके तीन पुत्र कमशः तला, नाथू व रतना हुए। तला जी के कोई पुत्र–पुत्री याने उत्तराधिकारी नहीं थे जिन्होनें अपने बड़े भाई रतना के पुत्र रामा जी को गोद लिया, तला जी की सम्पत्ति पर रामा जी ही काबिज थे, तला जी की मृत्यु हो जाने के बाद तला जी के नाम की खातेदारी भूमि उसकी पत्नी देवली के नाम पर दर्ज हुई । देवली की मृत्यु के बाद विरास्स्त से देवली बेवा तला की खातेदारी भूमि विरासत से श्री रामा मुतबन्ना तला के नाम दर्ज हुई तथा रामा जी को तल्ला जी का गोदी पुत्र के नाम से ही जाना जाता है। रामा जी का देहान्त होने के बाद रामा मुतबन्ना तला की खातेदारी भूमि प्रतिवादी कमांक 1 से 4 कमशः कालू, शम्भू, उदा, कैलाश के नाम पर दर्ज हुई तथा वर्तमान में इन्हीं के कब्जेयाबी होकर उपयोग–उपभोग में है ।

श्री नाथू जी के एक पुत्र भेरा व पत्नी श्रीमति रूपली थे, भेरा जी अविवाहित थे, जिसका देहान्त हो गया था, रूपली ने वंश चलाने के लिये अपनी जीति जीन्दगी मे जाति रिवाज अनुसार अपने देवर रतना के पुत्र देवा को गोद रखा। नाथु की सम्पत्ति पर देवा जी ही काबिज है, नाथु की मृत्यु हो जाने के बाद नाथु जी के नाम की खातेदारी भूमि देवा मुतबन्ना नाथू के नाम दर्ज हुई तथा देवाजी को नाथू जी का गोदी पुत्र के नाम से ही जाना जाता है ।

नेत्या जी फोत हो चुके है, जिनके विधिक वारीस वादीगण कमशः श्रीमति दोलकी पत्नि व भग्गा पुत्र है। मृतक रामा जी अपने जीवनकाल में ही अपने पिता के छोटे भाई तला के गोद चले गये तथा उनकी सम्पत्ति तथा दायित्व को पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया था तथा देवा जी भी अपने पिता रतना जी के छोटे भाई नाथू की पत्नी रूपली के गोद चले गये तथा उनकी सम्पत्ति तथा दायित्व का निर्वहन पुत्र के रूप में ही करते चले आ रहे है तथा उनकी सम्पत्ति पर काबिज है, इसलिए वादीगण प्राकृतिक पिता की खातेदारी वादग्रस्त आराजीयात में से प्रतिवादी कमांक 01 से 04 कमशः कालू, शम्भू, उदा, कैलाश पिता रामा जी तथा प्रतिवादी कमांक 05 देवा का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित करवाकर अपने नाम पर खातेदारी की घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है।

– 3

वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी कमांक 1 से 4 कमशः कांलू, शम्भू, उदा, कैलाश पिता रामा का संयुक्त 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी कमांक 5 देवा पिता रतना 1/3 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित है लेकिन मृतक श्री रामा पिता रतना अपने प्राकृतिक पिता के बड़े भाई तला के गोद चला गया और तला की मृत्यु के बाद तला की सम्पूर्ण आराजीयात रामा मुतबन्ना तला मीणा के नाम पर दर्ज होकर मौके पर रामा मृतक के उत्तराधिकारी प्रतिवादी कमांक 1 से 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में भी इनके नाम पर आराजीयात विरासत से दर्ज हो चुकी है । प्रतिवादी कमांक 5 देवा पिता रतना श्री नाथू जी के गोद चला गया था तथा राजस्व रिकॉर्ड में नाथू जी की आराजीयात प्रतिवादी कमांक 5 देवा मुतबन्ना नाथू मीणा के नाम पर दर्ज होकर नाथू जी की आराजीयात पर बहैसियत गोदी पुत्र काबिज चला आ रहा है इसलिये वादग्रस्त आराजीयात में अब प्रतिवादी कमांक 1 से 4 तथा प्रतिवादी कमांक 5 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है, अतएव सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज कराया जाना तथा प्रतिवादी कमांक 1 से 5 का नाम विलोपित कराया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण ही काबिज होकर आराजीयात का उपयोग–उपभोग शांतिपूर्वक करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगण कमांक 1 से 4 के पिता श्री रामा तला के गोद चले जाने से तथा प्रतिवादी कमांक 5 देवा नाथू के गोद चले जाने से तथा बहैसियत गोदी पुत्र इनके नाम पर आराजीयात राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है और मौके पर उनकी आराजीयात पर ही काबिज चले आ रहे है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर इनका कब्जा नहीं है इसलिये वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण की खातेदारी की घोषित कराई जाकर प्रतिवादी कमांक 1 से 5 का नाम विलोपित कराया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी कमांक 1 से 4 एवं 5 का नाम अंकित होने से वे वादग्रस्त आराजीयात के भू भाग को हस्तांतरण कर सकते है, इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना न्यायोचित है कि वे वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भू भाग को रहन, बय, बक्षीश या अन्य तरीके से हस्तांतरीत न करें, न करावे तथा वादीगण के वैध कब्जे में किसी तरह की दखलंदाजी न करें, न करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। बरौज पेशी प्रतिवादी नं. 1 से 4 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी नं. 5 स्वयं उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुये मुताबिक दावा वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पक्ष में डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने तथा इसमें पूर्णतया सहमति होने का कथन किया गया ।

इकबालिया जवाब प्रस्तुत होने से तनकीयात कायम नहीं की गई ।

शहादत वादी में वादी दोलकी, भग्गा व गवाह वजेराम, भगवानलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये। वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित किया।

वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम डबेला पटवार सर्कल बानसी तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है अधिवक्ता वादी के अनुसार

– 4

पारिवारीक सजरा इस प्रकार है –

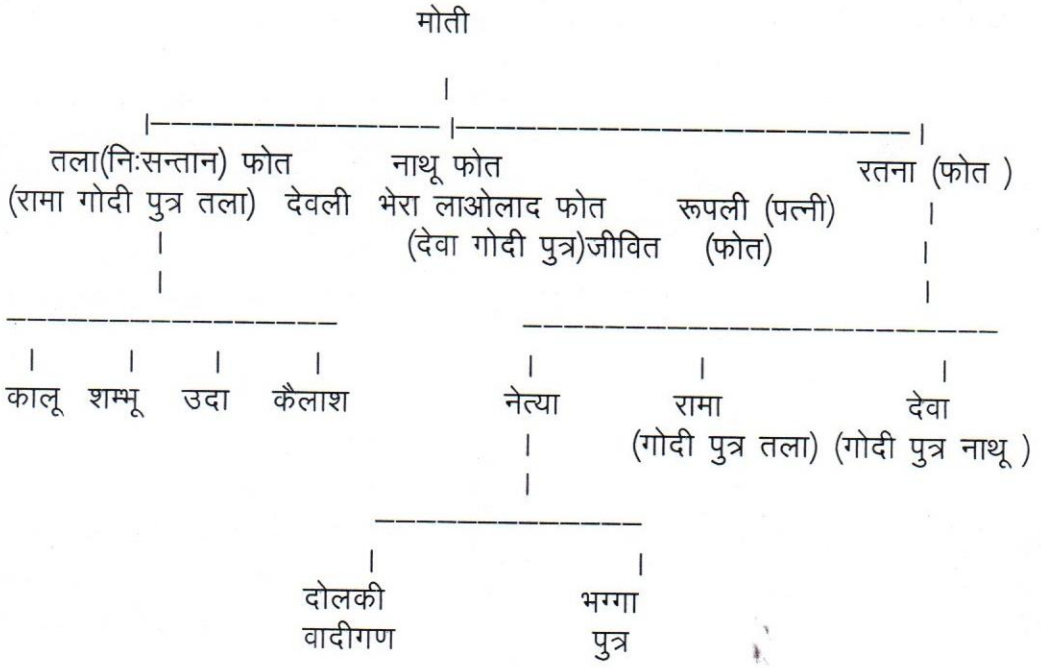

मूल पुरूष मोती जी थे, जिनके तीन पुत्र कमशः तला, नाथू व रतना हुए। तला जी के कोई पुत्र–पुत्री यानि उत्तराधिकारी नहीं थे, उन्होनें अपने बड़े भाई रतना के पुत्र रामा जी को गोद लिया, तला जी की सम्पत्ति पर रामा जी ही काबिज थे, तला जी की मृत्यु हो जाने के बाद तला के नाम की खातेदारी भूमि उसकी पत्नी देवली के नाम पर दर्ज हुई। देवली की मृत्यु के बाद विरास्त से देवली बेवा तला की खातेदारी भूमि विरासत से नामान्तरणकरण संख्या 109 दिनांक 14–03–1986 को श्री रामा मुतबन्ना तला मीणा के नाम दर्ज हुई तथा रामा जी को तल्ला जी का गोदी पुत्र के नाम से ही जाना जाता है। रामा जी का देहान्त होने के बाद रामा मुतबन्ना तला मीणा की खातेदारी भूमि विरासत से नामान्तरणकरण संख्या 175 दिनांक 17–12–2004 को रामा मुतबन्ना तला के बजाय प्रतिवादी कमांक 1 से 4 कमशः कालू, शम्भू, उदा, कैलाश पिता रामा, मु. हीरकी बेवा रामा के नाम पर दर्ज हुई, हीरकी फोत हो गई थी जिसका नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। वर्तमान में इन्हीं के कब्जेयाबी होकर उपयोग–उपभोग में है। जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 की प्रस्तुत कर रखी है, जिससे इसकी पुष्टि होती है।

श्री नाथू जी के एक पुत्र भेरा व पत्नी श्रीमती रूपली थे। नाथू जी के फोत होने के बाद नाथू जी के नाम की खातेदारी भूमि भेरा पिता नाथू मीणा के नाम पर दर्ज हुई। श्री भेरा जी अविवाहित थे जिसका देहान्त होने के कारण उक्त खातेदारी भूमि मुसम्मात रूपली बेवा नाथु के नाम पर दर्ज हुई। रूपली बाई ने वंश चलाने के लिये अपने जीवनकाल में अपने देवर रतना के पुत्र देवा को गोद लिया। रूपली का देहान्त होने के बाद रूपली बेवा नाथु के नाम की खातेदारी भूमि नामान्तरणकरण संख्या 133 से विरासत से देवा मुतबन्ना नाथू मीणा के नाम पर दर्ज हुई, इसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2049 से 2052 में अंकित दाखिले से होती है। नाथू जी की सम्पत्ति पर देवा जी ही काबिज है तथा देवा जी को नाथू जी का गोदी पुत्र के नाम से ही जाना जाता है।

–5

रतना जी फोत हो चुके है, जिनके विधिक वारीस वादीगण कमशः 1 श्रीमति दोलकी पत्नी व कमांक 2 भग्गा पुत्र है। मृतक रामा जी ने अपने जीवनकाल में ही अपने पिता के छोटे भाई तल्ला के गोद चले गये तथा उनकी सम्पत्ति तथा दायित्व को पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया था तथा देवा जी भी अपने पिता रतना जी के छोटे भाई नाथू के गोद चले गये तथा उनकी सम्पत्ति तथा दायित्व का निर्वहन पुत्र के रूप में ही करते चले आ रहे है तथा उनकी सम्पत्ति पर काबिज है इसलिए वादीगण प्राकृतिक पिता की खातेदारी वादग्रस्त आराजीयात में से प्रतिवादी कमांक 01 से 04 कमशः कालू, शम्भू, उदा, कैलाश पिता रामा जी तथा प्रतिवादी कमांक 05 देवा का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित करवाकर अपने नाम पर खातेदारी की घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है ।

वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी कमांक 1 से 4 कमशः कालू, शम्भू, उदा, कैलाश पिता रामा का संयुक्त 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी कमांक 5 देवा पिता रतना 1/3 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित है, लेकिन मृतक श्री रामा पिता रतना अपने प्राकृतिक पिता के बड़े भाई तला के गोद चला गया और तला की मृत्यु के बाद तला की सम्पूर्ण आराजीयात रामा मुतबन्ना तला मीणा के नाम पर दर्ज होकर मोके पर रामा मृतक के उतराधिकारी प्रतिवादी कमांक 1 से 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में भी इनके नाम पर आराजीयात विरासत से दर्ज हो चुकी है । प्रतिवादी कमांक 5 देवा पिता रतना श्री नाथू जी के गोद चला गया था तथा राजस्व रिकार्ड में नाथू जी की आराजीयात प्रतिवादी कमांक 5 देवा मुतबन्ना नाथू मीणा के नाम पर दर्ज होकर नाथू जी की आराजीयात पर बहैसियत गोदी पुत्र काबिज चला आ रहा है इसलिये वादग्रस्त आराजीयात में अब प्रतिवादी कमांक 1 से 4 तथा प्रतिवादी कमांक 5 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है अतएव सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज कराया जाना तथा प्रतिवादी कमांक 1 से 5 का नाम विलोपित कराया जाना न्यायोचित है।

प्रतिवादी कमांक 5 देवा मुतबन्ना नाथू मीणा स्वयं ने न्यायालय में उपस्थित होकर ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा वाद सही तथ्यों पर पेश करना स्वीकार किया तथा वादानुसार वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण के नाम पर दर्ज करने में प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने का तथ्य दर्ज किया है। प्रतिवादीगण कमांक 1 से 4 कमशः कालु, शम्भू, उदा , कैलाश बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अधिवक्ता वादी के अनुसार उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि न्यायिक दृष्टान्त न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अपील/डिक्री/82/94 बुन्दी बद्रीलाल बनाम– जगन्नाथ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23–07–98 के अनुसार होती है जिसके तहत कोई व्यक्ति गोद चला जाता है तो उसका अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति मे कोई हक व अधिकार नही रहता है। नामान्तरणकरण संख्या 109 व जमाबंदी सम्वत 2041 से 2044 की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है कि रामा तला जी के गोद गया और तला की आराजीयात पर रामा जी काबिज थे। रामा जी के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 काबिज है। नामान्तरणकरण संख्या 133 व जमाबंदी सम्वत 2049 से 2052 में अंकित दाखिला देवा मुतबन्ना नाथू मीणा से स्पष्ट है कि देवा नाथू के गोद चला गया और नाथू की सम्पत्ति पर बहैसियत गोदी पुत्र काबिज है। कोई भी व्यक्ति किसी के गोद चले जाने के बाद उसके प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कानूनन किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं रखता है।

–6

अधिवक्ता वादीगण ने अंत में निवेदन किया कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात वादीगण के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में अंकित करायी जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से विलोपित कराये जाने के आदेश पारित किये जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय लिखित बहस पर चिन्तन व मनन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों – प्रदर्श–1 खाता सं. 31 सम्वत् 2076 – 2079 की नकल जमाबन्दी, प्रदर्श–2 नकल मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–3 खाता सं. 26 सम्वत् 2010 – 2013, प्रदर्श–4 खाता सं. 14 सम्वत् 2029 – 2032, प्रदर्श–5 खाता सं. 8 सम्वत् 2036 – 2039, प्रदर्श–6 खाता सं. 11 सम्वत् 2041 – 2044, प्रदर्श–7 खाता सं. 53 सम्वत् 2061 – 2064, प्रदर्श–8 खाता सं. 5 सम्वत् 2076 – 2079, प्रदर्श–9 खाता सं. 18 सम्वत् 2021 – 2024, प्रदर्श–10 खाता सं. 22 सम्वत् 2029 – 2032, प्रदर्श–11 खाता सं. 40 सम्वत् 2049 – 2052, प्रदर्श–12 खाता सं. 16 सम्वत् 2065 – 2068, प्रदर्श–13 खाता सं. 17 सम्वत् 2061 – 2064, प्रदर्श–14 खाता सं. 10 सम्वत् 2076 – 2079 से यह सिद्ध होता है कि श्री रामा तला के गोद गया, रामा की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी उसकी पत्नी देवली के नाम पर दर्ज हुई। देवली की मृत्यु के बाद तला की खातेदारी नामान्तरण संख्या 109 के जरिये रामा मुतबन्ना तला के नाम पर दर्ज हुई। जो खाता संख्या 8 सम्वत् 2041 – 2044 की जमाबन्दी जो प्रदर्श–6 से स्पष्ट है। रामा मुतबन्ना तला की मृत्यु के बाद तला की खातेदारी प्रतिवादी कमांक 1 से 4 के नाम पर दर्ज हुई जो प्रदर्श–7 खाता सं. 53 सम्वत् 2061 – 2064 से स्पष्ट होती है एवं श्री नाथू की खातेदारी उसके पुत्र भेरा के नाम पर दर्ज हुई भेरा लाऔलाद फोत हुआ उसके बाद खातेदारी रूपली के नाम पर दर्ज हुई जो प्रदर्श–10 खाता सं. 20 सम्वत् 2029 – 2032 की जमाबन्दी से स्पष्ट होता है। रूपली के देहान्त के बाद नाथू की खातेदारी प्रदर्श–11 खाता सं. 40 सम्वत् 2049 – 2052 मे दर्ज दाखिला नामान्तरण संख्या 133 विरास्त से खाता रूपली के बजाय देवा मुतबन्ना नाथू मीणा के नाम पर दर्ज हुई। मौखिक साक्ष्य के अनुसार रामा तल्ला के गोद जाना एवं देवा नाथू के गोद जाना सिद्ध होता है। तथा साक्षीयों से यह भी सिद्ध होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है एवं प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नही है। इसलिये वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपर्यूक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा डबेला पटवार सर्कल बानसी तहसील बड़ीसादड़ी की आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 0.2700 हे. लगानी 1.89 रूपया, नम्बर 205 रकबा 0.1700 हे. लगानी 2.72 रूपया, नम्बर 210 रकबा 0.2300 हे. लगानी 3.68 रूपया, नम्बर 212 रकबा 0.2000 हे. लगानी 3.20 रूपया, नम्बर 224 रकबा 0.3100 हे. लगानी 4.96 रूपया, नम्बर 232 रकबा 0.1400 हे. लगानी 2.66 रूपया, नम्बर 233 रकबा 0.2900 हे. लगानी 5.51 रूपया, नम्बर 236 रकबा 0.3000 हे. लगानी 5.70 रूपया, नम्बर 237 रकबा 0.2300 हे. लगान 0.69 रूपया, नम्बर 238 रकबा 0.3500 हे. लगान 1.05 रूपया,

–7

नम्बर 240 रकबा 0.4600 हे. लगान 1.38 रूपया, नम्बर 241 रकबा 0.0300 हे.गे.मु.आ.चा., नम्बर 242 रकबा 0.0400 हे. लगान 0.76 रूपया कुल किता 13 रकबा 3.0200 हे. लगानी 34.20 रूपया भूमि (आराजीयात्) वादीगण की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 5 का नाम विलोपित किया जावें तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात् राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम पर दर्ज की जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास मे आज दिनांक 25.10.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25/10/19
गजानन्द जांगीड़
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajanand Jangid
Date: 2019.11.20 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: